Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **झालावाड़ में जयपुर डिस्कॉम के वाणिज्यिक सहायक, तकनीकी सहायक दलाल सहित 5500 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *13 सितम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर कोटा देहात इकाई द्वारा आज सोमवार को भवानीमण्डी, झालावाड़ में कार्यवाही करते हुये पुष्पेन्द्र बैरवा वाणिज्यिक सहायक द्वितीय, संदीप गुप्ता तकनीकी सहायक द्वितीय को दलाल ओमप्रकाश वैष्णव (प्राईवेट व्यक्ति) सहित परिवादी से 5500 रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए. सी.बी. की कोटा देहात इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके कटे हुये विद्युत कनेक्शन को पुनः चालू करवाने की एवज में पुष्पेन्द्र बैरवा वाणिज्यिक सहायक द्वितीय द्वारा 5 हजार रुपये तथा संदीप गुप्ता तकनीकी सहायक द्वितीय द्वारा 2 हजार रुपये उनके दलाल ओमप्रकाश वैष्णव (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी कोटा देहात इकाई के **श्रीमती प्रेरणा शेखावत** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री वासुदेव** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये दलाल ओमप्रकाश वैष्णव पुत्र श्री राधेश्याम निवासी भैंसोदा दरवाजे के पास, पचपहाड़, जिला झालावाड़ (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **5 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी संदीप गुप्ता पुत्र श्री रामगोपाल निवासी मिश्रोली, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ हाल तकनीकी सहायक द्वितीय कार्यालय सहायक अभियन्ता, जे.वी.वी. एन.एल. भवानीमण्डी को भी परिवादी से **500 रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। पुष्पेन्द्र बैरवा पुत्र श्री हीरालाल निवासी मकान नं0 34, श्यामनगर प्रथम, रामपुरा रोड, सांगानेर जयपुर हाल वाणिज्यिक सहायक द्वितीय, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जे.वी.वी.एन.एल. भवानीमण्डी, जिला झालावाड़ को भी प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।